<u>वित्तीय स्वीकृति</u>

<u>संख्या-19/2016/776/52-3-16-बजट(32)/2015</u>

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक ,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3,  लखनऊ : दिनांक 17 मार्च, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में मेडिकल/इंजीनियरिंग के व्यवसायिक पाठयक्रमों में परीक्षापूर्व कोचिंग की व्यवस्था हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में। (आयोजनेत्तर)

महोदय ,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4556/अ0स0क0नि0/कोचिंग /2015-16 दिनांक 2.3.2016 के संदर्भ में तथा शासन के पत्र सं0-3045/52-3-15-बजट (32)/2015, दिनांक 11.1.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 मे मेडिकल/इंजीनियरिंग व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में परीक्षा पूर्व कोचिंग की व्यवस्था हेतु आयोजनेत्तर आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 15,00,000/-(रू0 पन्द्रह लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 07,50,000/-(रू0 सात लाख पचास हजार मा ) की धनराशि स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखी जा चुकी है त 0 07,50,000/-(रू0 सात लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवशेष है। उक्त अवेशष धनराशि रू0 07,50,000/-(रू0 सात लाख पचास हजार ) निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

2- उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्यता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि तथा गतवर्ष में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण माह मार्च, 2016 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे। तदुपरान्त ही द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

4- धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -48 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण-0305-मेडिकल/इंजीनियरिंग के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में परीक्षापूर्व कोचिंग की व्यवस्था हेतु अनुदान-20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई0-11-440/दस-16, दिनांक 14 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

<u>संख्या-776 (1)/52-3-16-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।

5-वित्त (ई-11) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3 संबंधित सहायक/गार्ड फाईल।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।